न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक

(कैम्प प्रभारी/पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :– 531/2021 निर्णय दिनांक :– 22.10.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

[illegible] बनाम तहसीलदार देवली/दूनी

उपस्थिति :–

तहसीलदार देवली/दूनी

प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश प्रशासन गांव के संग 2021 कैम्प चारनेर में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार देवली/दूनी को अपना नाम वाके ग्राम [illegible] जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खाता संख्यां 63 में दर्ज [illegible] के स्थान पर [illegible] दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया।

तहसीलदार देवली/दूनी ने पटवार हल्का [illegible] व भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा करते हुये पत्रावली उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को पेश की गई। पत्रावली कैम्प मे दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम मे प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में जानकारी ली गई। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य/बयान करवाये गये, जो संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार देवली/दूनी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात व साक्ष्य/बयान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली/दूनी को वाके ग्राम [illegible] जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 63 — में दर्ज [illegible] के स्थान पर [illegible] दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प चारनेर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

कार्यालय शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)
कैम्प – चारनेर
क्रमांक – 16
22-10-21

प्रतिलिपि नामज तहसीलदार [illegible] को अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कैम्प प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी देवली

Scanned with CamScanner